

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू
शिवराज बनाम बंजरगा
 मुकदमा संख्या / वर्ष : २५७ / 20२२

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	२२/३/२५	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता हाजीर / विभाजन प्रस्ताव पर बहल सुनी जा चुकी है।</p> <p>दावा स्वीकार किया जाकर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्ली किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव के उसके साथ संलग्न नजरी नक्शा इन आदेश का अन्तिम भाग रहेगा।</p> <p>पिस्तृत निर्णय पृष्ठ ले लिखा जाकर इन आदेश का भाग रहेगा।</p> <p>अन्तिम डिक्ली जारी हो। पत्रावली फेल्ट श्रुमार होकर दर्ज नम्बर ले कम हो।</p> <p style="text-align: right;">(२) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)</p>	